न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 142/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/204

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
मूलाराम पुत्र वेलाराम वर्ष जाति पटेल, निवासी बींजा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत वायद जरिये सरपंच, ग्राम वायद तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 2. सकाराम पुत्र गोपाराम जाति पटेल निवासी बींजा, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री खीमाराम पटेल।

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/12/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत वायद द्वारा मिसल संख्या 16/10 दायर दिनांक 05.08.2010 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 01.12.2010 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने के दौरान कोई मिसल कायम नहीं की गई, न ही कोई प्रस्ताव लिया गया। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा ग्राम बींजा का आबादी भूमि में जारी नहीं करके ग्राम की पशुताल (गोचर भूमि) खसरा संख्या 195 एवं रास्ते की भूमि खसरा संख्या 140 में जारी किया। अप्रार्थी संख्या 2 जैर निगरानी पट्टे की आड़ में नाजायज अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवा रहा है, जिससे गांव के लोगों के आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया। जैर निगरानी पट्टे हेतु अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये नियमों से अधिक क्षेत्रफल का विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने गांव की आबादी भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है और अप्रार्थी द्वारा अपनी पट्टा सुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवाया गया है, जो कि विधिनुरूप है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा आवेदन पेश किया गया, जिस पर ग्राम पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा नियमानुसार नक्शा तैयार कर, तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया तथा आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। ग्राम पंचायत पंचायती राज नियमों में वर्णित समस्त प्रावधानों की पालना करते हुये विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना विधिक प्रावधानों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत वायद द्वारा मिसल संख्या 16/10 दायर दिनांक 05.08.2010 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 01.12.2010 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी के विरूद्ध अधिवक्ता अप्रार्थी का मुख्य उज्र यह था कि "हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा गोचर भूमि में जारी नहीं होकर आबादी भूमि में जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नही की कि उक्त भूमि गोचर है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमो के तहत स्वयं भी जांच करवानी थी, जो नही करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नही किया। ग्राम पंचायत द्वारा रियायती दर पर/निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नही किया गया। जिसके अभाव में यह ज्ञात नही किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है। पट्टे में दर्शायें अडौस-पडौस से भी ज्ञात नही होता है कि भू-खण्ड किस स्थान पर आवंटित किया गया है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन दस्तावेजों की अनुपलब्धता से प्रामणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि नियम 157(2) के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण में ग्राम पंचायत को केवल 300 वर्गगज तक के ही पट्टे परिवार की महिला मुखिया को देने का अधिकार है लेकिन ग्राम पंचायत ने 4972 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। राजस्थान पंचातयी राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अनुसार "ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे का मुफ्त विनियमितिकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि पर पट्टा (प्ररूप-23ख में), ऐसी महिला को जारी किया जायेगा, जो ऐसे परिवार की मुख्यिा हो।" राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157(ख) का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का प्रावधान है तथा उक्त नियम में 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। जैर निगरानी पट्टा पुरूष सदस्य भंवरलाल पुत्र गोपराम के नाम से जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 4972 वर्गफुट है। जिससे यह प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा नियम 157(2) में विहित प्रावधानों को दूषित करते हुये जारी किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 21(1) WLC (Raj.) 164 Lalit Kumar vs The State of Rajasthan के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धाराये 97, 146, 157–पट्टे के रद्दकरण की अस्वीकृति–औचित्य–पट्टा प्रत्यार्थियों के पूर्वजों के पक्ष में निर्गत प्रत्यर्थी अपने कब्जे के नियमितीकरण की मांग कर रहे–पट्टा 711 वर्गगज के लिये निर्गत जबकि नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा 300 वर्गगज से अधिक के लिये निर्गत नहीं किया जा सकता, विशेषकर जबकि भूमि ग्राम पंचायत की होने का अथवा प्रत्यर्थियों का कोई पुराना आवास वहां होने का कोई न्याय निर्णय नहीं है–भूमि यदि विवादग्रस्त हो तो उस पर कब्जे के नियमितीकरण के लिये नियम 157 का आश्रय नहीं लिया जा सकता–पट्टा निरस्त किया–एकल न्यायाधीश और जिलाधीश के आदेश अभिखण्डित किये गये। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।" उक्त नियम में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किए जाने हेतु क्षेत्रफल की स्पष्ट अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियमितीकरण की प्रक्रिया सीमित, नियंत्रित एवं राजस्व हितों के अनुरूप रहे। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 4972 वर्गफुट क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो नियम 157(2) में वर्णित अधिकतम सीमा से स्पष्ट रूप से अधिक है, जो यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय नियमों के उद्देश्य एवं सीमाओं की अवहेलना की गई है, जो स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड में बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट आता है कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर की बैठक दिनांक 05.08.2010 के प्रस्ताव संख्या 3 में पट्टा बनाने का आवेदन में प्रथम स्थान पर श्रीमती पाबुदेवी पत्नी गोपाराम पटेल बींजा का नाम मूल रूप से अंकित था। उक्त प्रविष्टि में बाद में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश अथवा विधिसम्मत अनुमति के काट–छॉट कर भवरलाल एवं सकाराम के नाम अंकित कर दिए गए। यह परिवर्तन न तो किसी पृथक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया और न ही इसके समर्थन में कोई वैधानिक आदेश अथवा अभिलेख उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त M. Chandra v. M. Thangamuthu, (2010) 9 SCC 712 में प्रतिपादित सिद्धान्त पूर्णतः लागू होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

"Cuttings and interpolations in public records without authority destroy the sanctity of such records." अर्थात् सार्वजनिक अभिलेखों में बिना अधिकार की गई काट–छॉट एवं अन्त प्रविष्टियॉ उनके पवित्र स्वरूप को नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त बैठक कार्यवाही दिनांक 06.09.2010 के प्रस्ताव संख्या 8 में अंकितानुसार ".... ...तीन वार्ड पंचों द्वारा ग्राम बींजा के पट्टा आवेदक श्रीमती पाबुदेवी पत्नी गोपाराम पटेल....... मौका मुआयना कर अपनी रिपोर्ट पेश की।" इससे यह तथ्य और अधिक सुदृढ़ होता है कि ग्राम पंचायत के समक्ष मूल एवं वैध आवेदन केवल पाबूदेवी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था तथा उसके पश्चात् की सम्पूर्ण कार्यवाही भी उसी आवेदन के आधार पर की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.08.2010 की बैठक में की गई काट–छॉट के अतिरिक्त, बाद की किसी भी बैठक अथवा प्रस्ताव में न तो भवरलाल अथवा सकाराम को विधिवत् पट्टाधारी दर्शाया गया और न ही उनके नाम से कोई स्वतंत्र निर्णय पारित किया गया। इसके विपरीत, सभी आगामी प्रस्तावों एवं कार्यवाहियों में निरन्तर रूप से पाबूदेवी का ही नाम अंकित पाया जाता है। नियमानुसार किसी आवेदक के पक्ष में पट्टा तभी जारी किया जा सकता है, जब उसका आवेदन विधिवत हो, प्रस्ताव पारित हो तथा मौका मुआयना, आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हो तथा पंचायत राज नियम में वर्णित अन्य प्रावधाना पूर्ण हो चुके है, इनमें से किसी भी चरण की पालना हुई हो परन्तु वर्तमान प्रकरण में यह सब प्रक्रिया प्रस्तुत अभिलेख अनुसार सिद्ध नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त Nazir Ahmad v. King Emperor, AIR 1936 PC 253 तथा Taylor v. Taylor, (1876) 1 Ch D 426 के अनुसार "Where the statute prescribes a manner for doing a thing, it must be done in that manner alone or not at all." पंचायत द्वारा किसी भी रूप में इस तथ्य का परीक्षण नही किया गया कि वांछित भूमि पर आवेदक का पुराना कब्जा अथवा गृह है या नही और वे सन्दर्भित नियमों के तहत पट्टा प्राप्त करने के अधिकारी थे अथवा नहीं। ग्राम पंचायत ने विधिक प्रावधानों को दूषित करते हुये सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई है, अतः ऐसी प्रक्रिया के आधार पर जारी किया गया पट्टा विधिक रूप से सन्देहास्पद और विधिविरूद्ध प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रश्नगत पट्टा किस प्रस्ताव की अनुपालना में जारी किया गया, इसका कोई उल्लेख अभिलेख पर नहीं है, साथ ही पट्टा जिस दिनांक 01.12.2010 को जारी होना अंकित किया गया है, उस दिनांक को ग्राम पंचायत में कोई बैठक भी आयोजित नहीं की गई थी। यह सुस्थापित विधिक सिद्धान्त है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी कोई भी पट्टा तभी वैध माना जा सकता है, जब वह विधिवत आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया हो। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त AIR 1991 SC 2219 State of Punjab v. Gurdev Singh में यह स्पष्ट किया कि "Any administrative action without authority of law and without a valid resolution is nullity in the eyes of law." तथा न्यायिक दृष्टान्त Commissioner of Police v. Gordhandas Bhanji, AIR 1952 SC 16 के अनुसार "An order shown to have been passed on a date when authority did not meet is per se illegal." साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के पत्र दिनांक 23.09.2025 से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित मिसल अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं है, यह सीधे तौर पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों की अवहेलना को दर्शाता है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त Kranti Associates v. Masood Ahmed Khan, (2010) 9 SCC 496 के अनुसार "If the record does not disclose compliance of mandatory procedure, the action cannot be sustained." भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। मिसल के अभाव में पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायायल के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत वायद द्वारा मिसल संख्या 16/10 दायर दिनांक 05.08.2010 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 01.12.2010 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)